न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 70/2025 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2025/72

01. लक्ष्मण शर्मा पुत्र छोगाराम जाति ब्राहम्ण निवासी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

01. ओमप्रकाश पि. मु. श्रीमति धापादेवी जाति कुम्हार निवासी बाबा. रामदेव रोड़ सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
14. राजस्थान सरकार राज्य जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

——

रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री राजेश बैद — अभिभाषक अपीलांट
श्री बालकिशन शर्मा — अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 23.12.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 693/485 (485/19) की 25 बीघा भूमि अपीलांट के पूर्वज रेडाराम पुत्र छोगाराम के नाम टीसी आवंटन चली आ रही थी। उक्त वादगत भूमि की तरमीम अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा की गई। जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील का निर्णय करते हुए वादगत भूमि की तरमीम जो अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा की गई उसे निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.12.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उल्लेखित तथ्यों व कानून के प्रावधानों के विपरीत एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर, आदेश जैर अपील पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ओमप्रकाश के द्वारा प्रथम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के पृष्ठ संख्या 4 उप पैरा (घ) में उल्लेख किया है कि "जहां विवाद ना हो, वहां भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा प्रश्नगत तरमीम की गई है" जो पूर्णतया विधिसम्मत है, राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58 और 59 में ऐसी व्यवस्थाएं दी गई है। इसरो यह भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट ने भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी के किसी भी आदेश को चुनौती प्रथम अपील के द्वारा नहीं दी है। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जब तरमीम हेतु कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया है तो उपरोक्त अनुवानी अपील किसी आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत हुई, बिना किसी आदेश के अधीनस्थ न्यायालय प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष अपील संधारण योग्य ही नहीं थी। उक्त वादगत भूमि अपीलांट के पूर्वज रेडाराम पुत्र छोगाराम के नाम सन 1969 के पूर्व से टीसी आवंटन चली आ रही थी, जिसका साल दर साल सम्वत् 2042 तक नवीनीकरण होता रहा। अपीलांट के मामा का देहान्त दिनांक 10.05.1982 को हो गया। सम्वत् 2040 के नवीनीकरण में जो रेडाराम की मृत्यु के पश्चात किया गया और रेडाराम की मृत्यु लाऔलाद हुई। अपीलांट ही जायज वारीस हैं। उक्त वादगत भूमि पर कब्जा काश्त भी अपीलांट का ही हैं। उक्त भूमि का किसी प्रकार का विवाद ना होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी कर्मचारी ने कानून में दी गई व्यवस्था के अनुसार तरमीम कर दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादगत भूमि से कोई वास्ता नहीं है, ना ही वादगत भूमि खसरा नंबर 485/19 पर या उसके किसी भाग पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा ही है। क्योकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने आपको धापा देवी का दतक पुत्र बताकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है। दत्तक पुत्र होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रथत अपील न्यायालय के समक्ष जब अपील प्रस्तुत होने एवं संधारण योग्य ही नहीं थी, तो अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी अपील को स्वीकार करने में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 23.12.2024 निरस्त फरमाया जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान कथन किया कि वादगत भूमि के खसरा नंबर 485/19 की 6.325 हैक्टयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता धापा देवी पत्नी नानूराम को टीसी आंवटन थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता की मृत्यु पश्चात विधिक वारिस होने के नाते उक्त रकबा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से टीसी दर्ज हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने रकबा के चारों और पिल्लर व कंटीली तार लगा कर अलग से सीवं बना रखी है। उक्त वादगत भूमि पर पूर्व में भू–माफिया द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा माननीय सिविल न्यायालय सूरतगढ़ में वाद संख्या 13/21 अनवान ओम प्रकाश बनाम भागीरथ प्रस्तुत किया जिसमें माननीय सिविल न्यायालय द्वारा कमिश्नर नियुक्त करके मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। कमीश्नर रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 27.07.2021 को मौका की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन अनुसार पूर्व में अपीलांट की माता धापा देवी का एवं बाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त मुख्य बीकानेर सूरतगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल 1360 फुट भूमि में से 165 फुट भूमि टिड्डी नियत्रण दल की मुख्य सड़क पर है। भूमि टिड्डी दल के उत्तर व दक्षिण तथा पश्चिम दिशा में है। सड़क पर कुल 1545 फुट है जिसमे टिड्डी दल का ऑफिस 165 फुट मुख्य राजमार्ग पर है तथा 20 फुट की सड़क है जो नक्शें में बनी हुई है। शेष रकबा जो राष्ट्रीय मार्ग पर है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा बदस्तुर चला आ रहा है। अपीलांट के मामा रेडाराम पुत्र छोगाराम के नाम खसरा नंबर 485/19 में 25 बीघा भूमि टीसी आवंटन थी। रेडाराम की मृत्यु वर्ष 1982 मे हो चुकी थी। रेडाराम का टीसी आवंटन पश्चात कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 31.08.2008 को रेडाराम का उक्त टीसी आवंटन खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक वारिसान व बिना जांच किये रकबा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम दर्ज कर दिया गया। तहसीलदार सूरतगढ़ से मिलीभगत कर खातेदारी प्रस्ताव तैयार करने के आदेश की आड में मृतक रेडाराम की भूमि की तरमीम अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि पर कर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 28.10.2021 नक्शा कि प्रमाणित प्रति लगाकर खातेदारी अधिकारी की अनुशंसा करते हुए पत्रावली जिला कलक्टर को भिजवा दी। खातेदारी प्रस्ताव तैयार करने की आड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जा के रकबा पर अपीलांट के नाम की गई तरमीम रेस्पोडेन्ट को बिना सुने बिना

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सूचना नोटिस दिये बिना मौका निरीक्षण किये अपने ही कयासों के आधार पर अपीलांट का कब्जा काश्त दिखा कर दी गई, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध व न्याय के विरूद्ध हैं। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन निर्णय में रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 485/19 की तरमीम कर बनाये गये खसरा नंबर 485/19 मिन 3 की तरमीम को निरस्त किया है उक्त तरमीम के विरूद्ध की गई अपील अपील अधीनस्थ न्यायालय में संधारण योग्य ही नही थी। जब तरमीम हेतु कोई आदेश किसी सक्षम स्तर से जारी ही नही किया गया है तो उसकी अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार संधारण योग्य नही है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2024 उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2024 निरस्त किया जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर